बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1026 (मो०)   पटना, दिनांक 26 / 05 / 2020

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः ''जल–जीवन हरियाली'' अभियान की प्रगति के संबंध में।

महाशय,

''जल–जीवन हरियाली'' अभियान की सतत् समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित पायी गई है :–

1. **किये जा रहे कार्य का भुगतान** :– समीक्षा से ज्ञात है कि लगभग 1300 से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है एवं बड़े पैमाने पर भौतिक रूप से कार्य सम्पन्न हुए हैं, परन्तु अभी तक मात्र 10 प्रतिशत से भी कम राशि का व्यय हुआ है। योजनायें पूर्ण करने की समयावधि मात्र तीन–चार सप्ताह बची है। अतः यह निर्देश दिया जाता है कि जिन योजनाओं में कार्य जारी है, उनमें अनिवार्य रूप से **पाक्षिक मापी कराकर संवेदक को भुगतेय राशि का भुगतान किया जाये।** इससे संवेदक के पास धनराशि की उपलब्धता होगी तो कार्यों में तेजी आयेगी। साथ ही साथ योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और खुलापन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मापी–पुस्तिकाएं विभागीय बेवसाईट के माध्यम से जनसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें सभी पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम की मोहर भी शामिल है। अतः सभी कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि हर पन्द्रह दिन पर हर योजना की मापी कराकर भुगतेय राशि का भुगतान किया जाये।

2. **<u>योजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने पर जोर</u>** :– आप अवगत हैं कि सभी योजनायें 15 जून, 2020 तक पूर्ण करनी हैं। कई योजनायें छोटे आकार की हैं, जो प्रायः पूर्णता की ओर हैं। तद्नुसार अभियान चलाकर, जोर देकर **योजनाओं को पूर्ण करके अंतिम मापी कराई जाये** एवं पूर्णता के आंकड़ों में वृद्धि प्रतिवेदित की जाये।

3. **<u>जल संग्रहण क्षमता सुनिश्चित करना</u>** :– कार्यान्वित हो रही प्रत्येक योजना में आगामी मौनसून में पूर्ण भंडारण क्षमता के अनुरूप जल संग्रहण होना चाहिए इसके लिए योजनावार कनीय अभियंता गहन अध्ययन करके समुचित इनलेट की व्यवस्था करें ताकि प्रत्येक योजना में जिस क्षमता के लिए खुदाई की जा रही है, उस क्षमता का जल संग्रहण सुनिश्चित हो सके। पूर्व में ही यह स्पष्ट रूप से संसूचित किया जा चुका है कि जिन योजनाओं में जल संग्रह नहीं होगा वह निरर्थक व्यय की श्रेणी में माना जायेगा और उसके संबंधित संवेदक एवं अभियंता से राशि की वसूली कर ली जायेगी। अगस्त महीने के मध्य में सभी योजनाओं के जल संग्रहण की स्थिति का आकलन तथा फोटोग्राफी विभाग द्वारा कराया गया जायेगा। अतः सतर्कतापूर्वक इस बिन्दु पर कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाय।

4. **<u>वृक्षारोपण हेतु अग्रिम तैयारी</u>** :– प्रायः हर योजना में मेड़ पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। मेड का कॉम्पेक्शन करके वृक्षरोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र निर्धारित करा लिया जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी से समन्वय कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। पौधों की किस्म के संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 1077(मो0) दिनांक 01.07.2019 द्वारा निर्देश दिया गया है, उसका पालन करें। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 9 अगस्त, 2020 को सम्पूर्ण राज्य में एक ही दिन 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, उस दिन योजना में विहित संख्या में वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। लगाये जा रहे वृक्षों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाय।

5. **<u>जनप्रतिनिधियों की भागीदारी</u>** :– विभाग का यह अभिमत है कि सभी योजनाओं के प्राक्कलन की जानकारी एवं किये जा रहे कार्य की मापी की जानकारी हर इच्छुक नागरिक को हो सके। तद्नुसार विधानमंडल के माननीय सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को उस क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही

जल–जीवन हरियाली अभियान की योजना से अवगत कराया जाये ताकि उनके सुझाव भी कार्यान्वयन के दौरान मिल सके।

6. अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक अभियंता की कार्य दक्षता की सतत् समीक्षा की जा रही है। तद्नुसार विभाग के पास उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं एवं रूचि नहीं लेने वाले अभियंताओं की भी सूची होगी, जो अग्रेत्तर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आधार होगा। मैं चाहूँगा कि विभाग के सभी अभियंता दिन–रात मेहनत करके लक्ष्यों की आंकड़ों में प्राप्ति के साथ गुणवत्ता पर पूर्ण ध्यान दिया जाय।

विश्वासभाजन

26.5.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

22